## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 820वी बैठक दिनांक 07.12.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 820वीं बैठक दिनांक 07.12.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-**

| क्र | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9761/2023 | 1(a) | पत्थर खदान एवं एम.सेण्ड खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 2. | 10079/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | For Delist | Relisted & Sent to SEAC |
| 3. | 9857/2023 | 1(a) | ग्रेनाईट खदान | For Delist | Relisted & Sent to SEAC |
| 4. | 10074/2023 | 1(a) | रेत खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | निरस्त |
| 5. | 10076/2023 | 1(a) | रेत खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | निरस्त |
| 6. | म.प्र. राज्य खनिज निगम द्वारा आवेदित आनलाईन ToR के प्रस्तावों की समीक्षा एवं निराकरण के संबंध मे - | | | | |

**1. प्रकरण क्र 9761/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष पाठक आत्मज श्री रमेश पाठक, निवासी वार्ड नं. 06, पाठक निवास, धिमरॉला मोहल्ला, नगर परिषद, सटई, लखनगुवां, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19788.5 व एम सेण्ड 82278.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 5(S), ग्राम पिपरिया घन, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-2) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA) द्वारा 815वीं बैठक दिनांक 01.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

***राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 807वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-***

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 783वीं बैठक दिनांक 03.05.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-*

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 820वी बैठक दिनांक 07.12.2023 का कार्यवाही विवरण

*राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–*

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 35 मीटर पर स्ट्रक्चर निर्मित है एवं खदान के अंदर कंटूर ट्रेंचेस परिलक्षित है। अतः खदान के पूर्व दिशा में निर्मित स्ट्रक्चर क्या है एवं उसको खनन से कोई क्षति नहीं होगी के संबंध में जिला कलेक्टर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये तथा खदान में स्थित कंटूर ट्रेंचेस के संरक्षण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक संबंधित विभाग से 15 दिवस में अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।*

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर द्वारा पत्र/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर द्वारा सीधे प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।*

***कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दमोह द्वारा ई–मेल दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी पत्र क्रं. 630 दिनांक 04.09.2023 से प्रस्तुत की गई है।***

***उक्त प्रकरण में खनिज अधिकारी जिला दमोह द्वारा प्रस्तुत जानकारी न तो कलेक्टर द्वारा प्रेषित की गई है और न ही प्राधिकरण के निर्णयानुसार प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के 783वी बैठक दिनांक 03.05.2023 में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में खनन संक्रिया हेतु स्पष्ट अभिमत कलेक्टर दमोह से प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।***

**प्राधिकरण के कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दमोह से पत्र क्र. 876 दिनांक 01.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी ई–मेल दिनांक 04.12.2023 के माध्यम से प्राप्त हुई है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत कलेक्टर (खनिज शाखा) दमोह से पत्र क्र. 876 दिनांक 01.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जानकारी एवं SEAC की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **दमोह जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पूर्व दिशा में स्थित स्ट्रक्चर से न्यूनतम 200 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित कंटूर ट्रेंचेस का ग्राम पंचायत के समन्वय से संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

**परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष पाठक आत्मज श्री रमेश पाठक, निवासी वार्ड नं. 06, पाठक निवास, धिमरॉला मोहल्ला, नगर परिषद, सटई, लखनगुवां, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19788.5 व एम सेण्ड 82278.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 5(S), ग्राम पिपरिया घन, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दमोह के पत्र क्र. 934 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.12.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

**2.** **प्रकरण क्र. 10079/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सोम गर्ग, निवासी 213, क्लर्क कॉलोनी, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 66229 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 खसरा नंबर 131/1/1/2, ग्राम – देपालपुर, तहसील – देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया......*

*प्रकरण सेक की 673वीं बैठक दिनांक 18/03/23एवं 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नही रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 23.11.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** कर **SEAC** को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

**3.** प्रकरण क्र. 9857/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, डी.जी बुन्देलखंड, ग्रेनाइट एल.एल.पी, पार्टनर श्री एम.के. मीना, निवासी प्रथम तल, चेतक कॉम्प्लेक्स, नियर एफ.सी.आई भवन, जोन–2 एमपी नगर, जिला– भोपाल (म0प्र0) द्वारा ग्रेनाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16,895 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.290 हेक्टेयर, खसरा 1469, ग्राम बिजौर, तहसील – निवाड़ी, जिला– निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 795वीं बैठक दिनांक 17.07.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 655वी बैठक दिनांक 22.06.2023 निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–*

*"......प्रकरण सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 एवं 655वीं बैठक दिनांक 22/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे"*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 655वी बैठक दिनांक 22.06.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 24.11.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** कर **SEAC** को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 10074/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री सुरेन्द्र नामदेव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 220, ग्राम हिरदेनगर, तहसील मंडला, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 801वीं बैठक दिनांक 17.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 664वी बैठक दिनांक 28.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–*

***परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान पूर्वी भाग में 360 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड़ ब्रिज एवं उससे लगा हुआ निर्माणाधीन ब्रिज संरचना परिलक्षित है। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, मण्डला से 15 दिवस में संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन **ADS** दिनांक 24.11.2023 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मण्डला के पत्र क्र. 1531 दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकार प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से अपस्ट्रीम में 360 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. प्रकरण क्र. 10076/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री सुरेन्द्र नामदेव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा टिकरवारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15,600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हे0, खसरा क्रमांक 298/1, ग्राम टिकरवारा, तहसील मंडला, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण क्र. 10074/2023 में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मण्डला के पत्र क्र. 1531 दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी का गूगल ईमेज पर परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण क्र. 10076/2023 में SEAC की 666वी बैठक दिनांक 04.08.2023 की अनुशंसा में ब्रिज के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया जिस कारण उक्त प्रकरण में SEIAA द्वारा SEAC की अनुशंसा पर 803वी बैठक दिनांक 25.08.2023 में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त प्रकरण भी निर्माणधीन रोड़ ब्रिज से 530 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 12.09.2023 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

6. म.प्र. राज्य खनिज निगम द्वारा आवेदित आनलाईन **ToR** के प्रस्तावों की समीक्षा एवं निराकरण के संबंध में –

माईनिंग कार्पोरेशन लि. भोपाल के पत्र दिनांक 28.11.2023 अनुसार सूचित किया गया है कि परिवेश पोर्टल पर रेत उत्खनन के आवेदित 253 ToR के प्रकरणों में जानकारी/दस्तावेजों में कोई भी त्रुटि/कमी पायी जाती है तो इसकी पूर्ति म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत कर दी जायेगी। पत्र में प्रकरणों की सूची अनुसार परिवेश पोर्टल पर आवेदित कुल 253 प्रकरणों में से 166 प्रकरण जेनिथ इन्वायरो, 29 प्रकरण कॉगनीजेन्स एवं 58 प्रकरण ए.एम.पी.एल. पर्यावरण सलाहकार संस्था के दर्शित हैं।

उपरोक्त आवेदित 253 प्रकरणों में से रेत खनन के 51 पूर्ण आवेदनों (08 रतलाम, 05 दमोह, एवं 04 छतरपुर जिले के है जिन्हें पर्यावरण सलाहकार – ए.एम.पी.एल संस्था द्वारा तथा 08 भिण्ड एवं 26 नर्मदापुरम जिले के है जिन्हें पर्यावरण सलाहकार –जिनिथ संस्था द्वारा आवेदन किया जाना पाया गया है) का प्रथम दृष्टिया परीक्षण किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निम्नानुसार 51 पूर्ण आवेदनों में **System Generated ToR** जारी किया जाये :–

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

| S. No | Proposal No. | Proposal Name |
|---|---|---|
| **CHHATARPUR - PP:** Balveer Tomar MPSMC | | |
| 1. | SIA/MP/MIN/449447/2023 | TILA– 1 SAND QUARRY ON DHASAN RIVER |
| 2. | SIA/MP/MIN/449445/2023 | BARUA SAND QUARRY ON KEN RIVER |
| 3. | SIA/MP/MIN/448347/2023 | Alipura-1 Sand Quarry |
| 4. | SIA/MP/MIN/449446/2023 | KARARAGANJ SAND QUARRY ON DHASAN RIVER |
| **BHIND - PP:** Ramakant Panday MPSMC | | |
| 5. | SIA/MP/MIN/448362/2023 | NIWSAI RIDIYA 3 (QUARRY LEASE)<br>Area - 2.00 ha, khasra no. 410, village - niwsai ridiya Pc 18480 cum |
| 6. | SIA/MP/MIN/447680/2023 | BACHHARETHA SAND MINE |
| 7. | SIA/MP/MIN/448375/2023 | DAHEMA -1 SAND MINE |
| 8. | SIA/MP/MIN/448389/2023 | MANGARH RIVER SAND MINE<br>AREA - 9.460 HA, KHASRA NO. - 1043, 1103, VILLAGE - MANGARH, PC 56760 cum |
| 9. | SIA/MP/MIN/447701/2023 | MAHAYAR 1 SAND QUARRY (QUARRY LEASE)<br>Area - 5.00 ha, khasra no. - 1,2, village - mahayar-1, pc 75000 cum |
| 10. | SIA/MP/MIN/448382/2023 | DAHEMA -3 SAND MINE<br>Production Capacity 74,190 cum, a 24.72 ha K 181 |
| 11. | SIA/MP/MIN/448354/2023 | MENHDA SAND MINE<br>K 1, A 10.0, PC 62000 cum |
| 12. | SIA/MP/MIN/447685/2023 | HILGAWAN RIVER SAND MINE<br>Khasra No. 1 & 391, Village - Hilgawan Shyampura, Tehsil - Raun, District – Bhind, area of 23.58 Ha PC 50933 cum |
| **DAMOH - PP:** Ramesh Bumekar MPSMC | | |
| 13. | SIA/MP/MIN/446594/2023 | AAK - KHEDA - RIVER SAND QUARRY<br>Survey No.1 & 213, Aak-Kheda Village, 5 ha., 1000 cum |
| 14. | SIA/MP/MIN/446286/2023 | CHHAPRAT - RIVER SAND QUARRY<br>Survey No.197 & 110, Chhaprat Village, 5 ha., 1200 cum |
| 15. | SIA/MP/MIN/446282/2023 | DEVRI - KISHUNDAS - RIVER SAND QUARRY<br>Survey Nos.- 1 & 12, Devri Kishundas Village, 5 ha., 1200 cum |
| 16. | SIA/MP/MIN/446207/2023 | PURA PAYRA - RIVER SAND QUARRY, Survey Nos. - 129 & 577/1, Area - 5.000 Ha, 1000 cum |
| 17. | SIA/MP/MIN/446191/2023 | Payrapura - River Sand Quarry, Survey Nos. 1 & 218, Area - 5.00 Ha 1550 cum |
| **NARMADAPURAM - PP:** Gopal Singh, MPSMC | | |
| 18. | SIA/MP/MIN/447469/2023 | SHAHPUR SAND QUARRY DEPOSIT<br>PC 18,147 Cubic Meter/Year, K 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/5, 9/1, 1/10, A 1.315 |
| 19. | SIA/MP/MIN/447467/2023 | GWADI-2 SAND QUARRY DEPOSIT<br>A 12.795, K 37/1, PC 2,30,310 Cubic Meter/Year |
| 20. | SIA/MP/MIN/447465/2023 | GURANJGHAT SAND MINE |

(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| | | PC 135000 cum, A 9.0 ha, K 1/1 |
| 21. | SIA/MP/MIN/447463/2023 | DETHI 2 SAND QUARRY Deposit A 6.433 ha<br>K 291,559, PC 96000 ccum |
| 22. | SIA/MP/MIN/447451/2023 | PAWARKHEDAKHURD 2 SAND MINE<br>PC 3,24,000 Cubic meter/Year ,K 1/1, A 18.0 ha |
| 23. | SIA/MP/MIN/447424/2023 | RAIPUR 24 SAND MINE<br>AREA - 10.555 HA, KHASRA NO. - 01, VILLAGE - RAIPUR 24, PC 177324 cum |
| 24. | SIA/MP/MIN/447414/2023 | GWADI-1 SAND QUARRY DEPOSIT<br>A 12.795,K 37/1,PC 2,30,310 Cubic Meter/Year |
| 25. | SIA/MP/MIN/447389/2023 | BAVARI-2 SAND QUARRY DEPOSIT<br>Pc 324000 cum,A 18.0 ,K 137/1 |
| 26. | SIA/MP/MIN/447368/2023 | DIMAWAR-1 SAND QUARRY DEPOSIT<br>Pc 297000 cum,A 16.5 ,K 107 |
| 27. | SIA/MP/MIN/447281/2023 | KOTHRA SAND QUARRY DEPOSIT<br>Pc 168000 cum, A 10.0 , K 1 |
| 28. | SIA/MP/MIN/447250/2023 | DOGARWADA SAND MINE<br>AREA - 5.00 HA, KHASRA NO. - 03, VILLAGE - DOGARWADA, PC 90 000 cum |
| 29. | SIA/MP/MIN/447227/2023 | HORIYAPIPAR SAND MINE<br>AREA - 19.746 HA, KHASRA NO. 226, VILLAGE - HORIYAPIPAR, PC177714 cum |
| 30. | SIA/MP/MIN/447229/2023 | GWADI SAND QUARRY DEPOSIT<br>Pc 67200 cum, A 4.0 , K 37/1 |
| 31. | SIA/MP/MIN/447210/2023 | MEHRAGHAT 10 SAND MINE<br>AREA - 11.655 HA, KHASRA NO. 365, VILLAGE - MEHRAGHAT 10, PC 139860 cum |
| 32. | SIA/MP/MIN/447202/2023 | NIMSADIYA 2 SAND MINE<br>AREA - 20.243, KHASRA NO. 1163, VILLAGE - NIMSADIYA 2, PC 242916 cum |
| 33. | SIA/MP/MIN/447470/2023 | BAVARI SAND QUARRY DEPOSIT<br>AREA - 4.00 HA, KHASRA NO. - 137/1, VILLAGE - BAVARI, PC, 62400 cum |
| 34. | SIA/MP/MIN/447194/2023 | JASALPUR 1 SAND MINE<br>AREA - 10.00 HA, KHASRA NO. - 691/1, VIILAGE - JASALPUR 1, PC 180,000 cum |
| 35. | SIA/MP/MIN/447186/2023 | REVAVANKHEDI SAND QUARRY DEPOSIT<br>AREA - 10.00 HA, KHASRA NO. 1/1, VILLAGE – REVAVANKHED, PC 180, 000 cum |
| 36. | SIA/MP/MIN/447245/2023 | Imaliya Sand Mine<br>AREA – 20.00 HA, KHASRA NO. 269, 3,00,000 Cubic meter/Year |
| 37. | SIA/MP/MIN/447228/2023 | Dumar Sand Mine<br>Area – 30.00 ha, khasra no. 01, 4,50,000 cubic meter/year |
| 38. | SIA/MP/MIN/447187/2023 | BEDAR SAND MINE<br>K 58, A 16.967 ha PC 2,85,197cubic meter/year /Year |
| 39. | SIA/MP/MIN/447145/2023 | GWADIKALA-2 SAND QUARRY DEPOSIT<br>K 124, 124, A 18.0 ha PC 3 24,000 cubic meter/year |
| 40. | SIA/MP/MIN/447122/2023 | GWADIKALA-1 SAND QUARRY DEPOSIT<br>K 124, 124, A 22.5 ha PC 4,05,000 cubic meter/year |
| 41. | SIA/MP/MIN/447118/2023 | GWADIKALA SAND QUARRY DEPOSIT<br>K 108, A 4.0 ha PC 72 000 cum |
| 42. | SIA/MP/MIN/447083/2023 | SANGAKHEDAKHURD SAND MINE<br>AREA - 10.00 HA, KHASRA NO. 01, VILLAGE - SANGAKHEDAKHURD, PC 1,20,000 cum |

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| 43. | SIA/MP/MIN/447055/2023 | PAHANVARRI SAND QUARRY DEPOSIT<br>AREA - 54.00 HA, KHASRA NO. - 1/1, VILLAGE – PAHANVARRI, PC 9 72 000 cum |
| **RATLAM - PP:** Dinesh Sharma, MPSMC | | |
| 44. | SIA/MP/MIN/448789/2023 | BADODIYA (REWAS) – SAND QUARRY |
| 45. | SIA/MP/MIN/448805/2023 | KHOJAN KHEDA – SAND QUARRY |
| 46. | SIA/MP/MIN/448794/2023 | RAFU KHEDI – SAND QUARRY<br>K 241, A 8.0 ha, PC 2130 cum |
| 47. | SIA/MP/MIN/447491/2023 | UMARIYA SAND QUARRY<br>A 7.54, K 1, PC 4200 cum |
| 48. | SIA/MP/MIN/447477/2023 | LAXMIPURA SAND QUARRY<br>A 8.0, K 153, PC 3140 cum |
| 49. | SIA/MP/MIN/447382/2023 | FATEHPUR SAND QUARRY<br>Khasra No.90 & 242, A 16.0 ha, PC 3000 cum |
| 50. | SIA/MP/MIN/446197/2023 | BHANPUR (NIMBODIYA) SAND QUARRY Deposit at Khasra No. 289, Bhanpur (Nimbodiya) Village, Jaora Tehsil, Ratlam,<br>a 6.0 ha, PC 1800 cum |
| 51. | SIA/MP/MIN/446174/2023 | NIMBA KHEDI (LASUDHIYA SURAJMAL) Sand Quarry Deposit at Khasra No. 240, Area-8.000 ha, PC 3375 cum |

दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा ToR हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित शेष समस्त आवेदनों में EDS के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जाये कि संबंधित अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा NABET/QCI की 01 वर्ष की अवधि हेतु ईआईए/ईएमपी तैयार किये जाने की निर्धारित प्रक्रिया एवं संख्या का उल्लघंन तो नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार NABET/QCI से प्रमाणीकरण दस्तावेज दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लि. भोपाल को प्रस्तुत करें एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ NABET/QCI का प्रमाणीकरण दस्तावेज संलग्न किये जाने के उपरांत ही प्राधिकरण द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा। तदानुसार प्रबंध संचालक, दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन को सूचित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि, बी–1 श्रेणी के प्रकरणों के संबंध में SEIAA द्वारा पूर्व में निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिये गये हैं :–

1. प्राधिकरण की 770वी बैठक दिनांक 02.02.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्देशित कि गयी है ......

*NABET एवं QCI में पंजीबद्ध पर्यावरण सलाहकारी संस्था द्वारा क्षेत्र विशेष हेतु अधिकृत विशेषज्ञ सलाहकार के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण किये जाने बावत्।*

*प्रायः देखने में यह आ रहा है कि SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरणों के कार्यवाही विवरण में ऐसे पर्यावरण सलाहकारों के नाम उल्लेखित किये जा रहे हैं जोकि NABET की Website पर संबंधित पर्यावरण सलाहकारी संस्था के दर्शित विवरण अनुसार अधिकृत विशेषज्ञ नहीं है। इस विषय पर वरिष्ठ निदेशक NABET श्री ए.के. झा से ऑनलाईन दूरभाष पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान श्री ए.के. झा द्वारा यह सूचित किया गया कि पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों में NABET एवं QCI से पंजीबद्ध पर्यावरण सलाहकारी संस्था के नामांकित विशेषज्ञ/सलाहकार के माध्यम से ही प्रस्तुतीकरण किया जाना एवं उनके नाम का उल्लेख किया जाना पूर्व से ही निर्धारित है। इस प्रक्रिया में संबंधित फर्म के द्वारा प्रकरणों में अन्य किसी गैर नामांकित विशेषज्ञ/पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जाना उचित नहीं है। श्री झा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि*

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

*पर्यावरण सलाहकारी संस्था द्वारा एक वर्ष में 10 EIA (A+B-1) एवं 30 (B-2) श्रेणी के प्रकरण सामान्यतया किए जाना संभव है।*

*अतः SEAC द्वारा अनुशंसित समस्त प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ज्ञापन क्र. J-11013/41/2006-IA.II(I) दिनांक 17.03.2010 का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों के कार्यवाही विवरण में संबंधित परियोजना प्रस्तावक एवं उनके द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकृत NABET एवं QCI से पंजीबद्ध पर्यावरण सलाहकारी संस्था के नामांकित विशेषज्ञ/सलाहकार के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा प्रस्तुतकर्ता का नाम भी स्पष्ट रूप से कार्यवाही विवरण में उल्लेखित किया जाये। साथ ही पर्यावरण सलाहकारी संस्था द्वारा 01 वर्ष में किये परियोजनाओं का पूर्ण विवरण प्राप्त कर रिकार्ड में रखा जावे।*

*पर्यावरण सलाहकारी संस्था के अधिकृत सलाहकार का ईआईए प्रतिवेदन के साथ फील्ड के व डाटा कलेक्शन के फोटोग्राफ अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ मय अक्षांश देशांश तथा दिनांक सहित प्रस्तुत किये जायें।*

*वरिष्ठ निदेशक, NABET से यह अनुरोध किया गया कि प्रदेश से संबंधित परियोजनाओं का जो विवरण पर्यावरण सलाहकारी संस्था द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जानकारी अगर संबंधित प्रदेश (SEIAA) से साझा कर दी जाये तो यह एक पारदर्शी प्रक्रिया होगी और पर्यावरण सलाहकारों द्वारा अधिक जिम्मेदारी से ईआईए प्रतिवेदन तैयार किये जावेंगे।*

2. इसी तरह प्राधिकरण की 801वी बैठक दिनांक 17.08.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्देशित कि गयी है ......

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बैठक के दौरान प्रकरणों के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत QCI/NABET के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित संख्या से अधिक ईआईए एवं ईएमपी प्रस्तुत की जा रही है तथा कई मामलों में ईआईए एवं ईएमपी की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है तथा कई प्रकरणों में उल्लेखित डाटा भी एक समान ही पाया गया है।*

*प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि :-*

I. *SEAC द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा NABET द्वारा निर्धारित संख्या में प्रकरण करें। अगर संख्या से अधिक प्रकरण प्रस्तुत कर रहे है तो उनके द्वारा QCI/NABET द्वारा निर्धारित प्रक्रिया बावत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करे।*

II. **SEAC** *द्वारा प्रस्तुत ईआईए/ईएमपी का विस्तृत परीक्षण किया जाये एवं ईआईए/ईएमपी की गुणवत्ता में सुधार हेतु पर्यावरण सलहाकार को निर्देशित किये जाने हेतु सदस्य सचिव, SEAC एवं सर्व सबंधितों को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।*

उक्त निर्णित कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में प्रबंध संचालक, दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन को सूचित किया जाये कि संबंधित अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा NABET/QCI की 01 वर्ष की अवधि हेतु ईआईए/ईएमपी तैयार किये जाने की निर्धारित प्रक्रिया एवं संख्या का उल्लघंन तो नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार NABET/QCI से प्रमाणीकरण दस्तावेज अनिवार्यतः ईआईए प्रतिवेदन के साथ ऑनलाईन संलग्न किये जायें। तदानुसार सदस्य सचिव, SEAC को भी सूचित किया जाये।

---

| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

परिशिष्ट–1

## गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

**<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>**

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

---

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |